UPPB010026612026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1053/2026

1–जपनम जोत सिंह पुत्र परमिन्दर सिंह, निवासी ग्राम व थाना–अमरिया, जिला–पीलीभीत।
2–आजाद वीर पुत्र बलकार सिंह, निवासी ग्राम–नवदिया सुल्तानपुर, थाना–गजरौला, जिला–पीलीभीत।
3–बलजीत सिंह पुत्र लखविन्दर सिंह,
4–अमरजीत सिंह पुत्र मंजीत सिंह,
दोनों निवासीगण ग्राम–शेरपुर मकरन्दपुर, थाना–पूरनपुर, जिला–पीलीभीत।

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–152/2026,
धारा–191(2), 191(3) 190, 126(2), 109(1) बी0एन0एस0,
थाना–गजरौला, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 04.07.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण 1–जपनम जोत सिंह, 2–आजाद वीर, 3–बलजीत सिंह एवं 4–अमरजीत सिंह की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–01.06.2026 के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा रन्जोत सिंह का बेटा मनरूप सिंह अपनी ननिहाल ग्राम नवदिया सुल्तानपुर में आया था उसका गुरजन्ट सिंह व हरजीत सिंह से विवाद हो गया था। वादी का फुफेरा भाई गुरजीत सिंह अपनी गाड़ी से उसके बेटे के साथ कहीं जा रहा था जब गाड़ी इन लोगों के घर के सामने पहुंची तो इन्होंने उसकी गाड़ी को घेर लिया तथा गुरजन्ट सिंह, हरप्रीत सिंह, किरनदीप सिंह, राजवीर सिंह, हरमीत सिंह व सुखचैन सिंह ने उनकी गाड़ी पर जान से मार देने की नीयत से नाजायज तमन्चे व लाइसेंसी बन्दूकों से हमला कर दिया। वादी, सुखदेव सिंह, सतविन्दर पाल सिंह, मनमोहन सिंह उन्हें बचाने भागे तो इन लोगों ने व चार–पांच अन्य ने उनपर भी जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये जिससे सुखदेव सिंह के पेट में, सतविन्दर पाल सिंह के माथे पर तथा मनमोहन सिंह के पेट में गोली/छर्रे लगे।

3. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपरोक्त मुकदमे में उनको झूठा फंसाया गया है। वे प्राथमिकी में नामजद नहीं हैं। घटना का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं है। मजरूबान के डाक्टरी मुआयने में कोई भी चोट गम्भीर प्रकृति की नहीं पायी गयी है और चोटें साधारण हैं। उनका अपराध करने का कोई हेतुक नहीं था। आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक–02.06.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः उनको जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं उनकी सहायता कर रहे वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता श्री कमलजीत सिंह ने जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ एक

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.07.04 16:44:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

राय होकर विधि–विरूद्ध जमाव कर, बलवा कारित करने के आशय से, पहले वादी मुकदमा के फुफेरे भाई गुरजीत सिंह एवं बेटे मनरूप सिंह पर जान से मारने की नीयत से नाजायज तमन्चे व लाइसेंसी बन्दूकों से हमला किया गया इन्हें बचाने गये वादी मुकदमा, सुखदेव सिंह, सतविन्दर पाल सिंह, मनमोहन सिंह पर भी अभियुक्तगण ने जान से मारने की नीयत से फायर किये जो सुखदेव सिंह के पेट में, सतविन्दर पाल सिंह के माथे पर तथा मनमोहन सिंह के पेट में छर्रे लगे हैं। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उनके जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामजद नहीं हैं और वे दिनांक–02.06.2026 से जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध हैं। मजरूबान को आयीं चोटें सामान्य हैं और उनके चिकित्सीय प्रपत्रों में कोई रक्तस्राव भी होना नहीं पाया गया है। अभियोजन/वादी के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार मजरूबान अपने घर पर हैं और ठीक हैं। लिहाजा इन परिस्थितियों में यह अदालत आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पाने का हकदार मानती है क्योंकि जमानत सामान्य नियम है और जेल एक अपवाद। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण 1–जपनम जोत सिंह, 2–आजाद वीर, 3–बलजीत सिंह एवं 4–अमरजीत सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन–1,00,000–1,00,000/–(एक–एक लाख) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उनको निम्न शर्तानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

1. वे विवेचना/विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।
2. वे आरोप तथा धारा 351 भा0ना0सु0सं0 के बयान जैसी सारवान तिथि पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से अवश्य उपस्थित रहेंगे।
3. वे किसी साक्षी को प्रलोभित तथा प्रकोपित नहीं करेंगे।
4. वे जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेंगे, तो इसकी सूचना न्यायालय को देंगे।

दिनांकः 04.07.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत